पंचदश

बिहार विधान-सभा

चतुर्दश सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 09 आषाढ़ 1936 (श0) / 30 जून, 2014 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या-01

(1) वित्त विभाग	01
कुल योग	01

राशि खर्च नहीं करना

1. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी—हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को प्रकाशित शीर्षक "योजना मद की राशि खर्च, नॉन प्लान 22 हजार करोड़ सरेंडर" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 का 1 लाख करोड़ बजट के विरुद्ध 22 हजार करोड़ रुपये जो गैर–योजना मद की थी, वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक खर्च नहीं की जा सकी और 31 मार्च, 2014 को उसे सरेंडर कर दिया गया, यदि हाँ, तो गैर–योजना मद की स्वीकृत राशि को खर्च नहीं करने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्ष 2013–14 का मूल बजट 92,087.93 करोड़ रु0 एवं पुनरीक्षित बजट 1,03,485.10 करोड़ रु0 का था। गैर–योजना मद में मूल बजट 53,081.63 करोड़ रु0 तथा पुनरीक्षित बजट 54,984.49 करोड़ रु0 का था।

महालेखाकार कार्यालय से वर्ष 2013–14 की प्राप्त पूर्व वास्तविकी के अनुसार गैर–योजना मद में वर्ष 2013–14 में 46,145.55 करोड़ रु0 का व्यय हुआ है तथा 8,838.94 करोड़ रुपये का प्रत्यर्पण हुआ है।

तथ्यों को कंडिका (1) के उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है। जहाँतक प्रत्यर्पण का प्रश्न है बजट आय और व्यय का एक अनुमान होता है। संसाधन की वास्तविक उपलब्धता और विभिन्न कार्यालयों द्वारा वास्तविक व्यय के आलोक में बचत की राशि प्रत्यर्पित की जाती है। वित्तीय वर्ष के अंत में जो बैलेंस राशि बच जाती है उसका उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

पटना :
दिनांक 30 जून, 2014 (ई0)।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 31–डी0टी0पी0–450